न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–422/2026

तरूण कुमार एवं नवीन कुमार उर्फ छोटू बनाम बिहार राज्य

26.05.2026 आवेदक/अभियुक्तगण **1. तरूण कुमार पे0 स्व0 जगदीश प्रसाद 2. एवं नवीन कुमार उर्फ छोटू पे0 तरूण कुमार,** जो हिलसा थाना काण्ड सं–181/2026 (अन्तर्गत धारा–126(2),329(3),109(1),351(3),352,3(5)बी0एन0एस0 एवं धारा–27 शस्त्र अधिनियम) में अभियुक्त है व जिन्हें इस वाद में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्यदेव कुमार विभूति द्वारा प्रचालित किया गया। इस जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पर सुनवाई के कम में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई अग्रिम अथवा नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक नवीन उर्फ छोटू का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है लेकिन आवेदक तरूण कुमार के विरूद्ध हिलसा थाना काण्ड सं–412/13 दर्ज है, जिसमें जमानत पर है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक निर्दोष है, जिन्हें ग्रामीण राजनीति के तहत गलत अभियोग के आधार पर इस वाद में झूठा फंसाया गया है। इस वाद में जैसा बताया गया है, वैसी कोई बात नहीं है। आरोपित धाराएं आवेदकगण के विरूद्ध लागू नहीं होता है। इन तर्को के आलोक में आवेदक/अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा– 126(2),329(3), 109(1),351(3),352,3(5) बी0एन0एस0 एवं धारा–27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संदर्भ में यद्यपि इस वाद के अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 02.03.2026 को इस वाद के अभियुक्तगण सूचक संजीत कुमार के घर पर जाकर सूचक को भद्दी–भद्दी गाली दिये एवं अभियुक्त सौरभ कुमार एवं नवीन कुमार उर्फ छोटू अपने हाथ में लिये पिस्तौल से जान मारने की नियत से सूचक पर फायरिंग किये, जिससे सूचक बाल–बाल बचे एवं इसी कम में अभियुक्त तरूण कुमार ने गोली चलाया, जो सूचक के घर के किबाड़ में छेद हो गया एवं अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि सह अभियुक्त सौरभ कुमार की अग्रिम जमानत याचिका इस न्यायालय से खारिज हो चुकी है, किन्तु सह अभियुक्त सौरभ कुमार को माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की सुविधा प्राप्त है एवं आवेदक अभियुक्तगण पर भी इस सह अभियुक्त सौरभ कुमार के समान आरोप है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्तों को 10000रू0 एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं तथा धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 के विहित शर्तो के साथ आदेश की तिथि से 28 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने पर जमानत बन्धपत्र दाखिल किये जाने पर विद्वान निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Alok Pandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा